

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 32/2022

श्रीसंदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अग्निहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री रविरतन सेतिया पुत्र श्री लक्ष्मण दास सेतिया निवासी वार्ड 572 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।
—खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक—
मै० विजय रेस्टोरेन्ट, 4-बी, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(2)/51


निर्णय

दिनांक : 06.01.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा०) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा जरिये राज० राज-पत्र अधिसूचना दिनांक 31.07.2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिसूचित किया है जिसमें क्रम संख्या 57 पर मेरा नाम अंकित है (सत्यापित छायाप्रति सलग्न है)।

श्री संदीप अग्रवाल को आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा०) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा जरिये राज० राज-पत्र अधिसूचना दिनांक 18.08.2011 के द्वारा कार्य क्षेत्र अधिसूचित किया गया एवं आदेश क्रमांक 308 दिनांक 04.09.2017 एवं 321 दिनांक 13.09.2017 के द्वारा मेरा कार्य क्षेत्र केन्द्रीय दल निदेशालय जयपुर किया गया था जिसके अनुसार समस्त राजस्थान मेरा कार्यक्षेत्र है। (सत्यापित छायाप्रति सलग्न है)।

श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.06.2022 को दोपहर बाद 11.00 ए.एम. पर मै० विजय रेस्टोरेन्ट, 4-बी, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वहां रविरतन सेतिया पुत्र श्री लक्ष्मण दास सेतिया निवासी वार्ड 572 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिसने खुद को खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेंस, एवं अन्य दस्तावेजों स्वयं प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत कि जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न हैं।


जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
श्रीगंगानगर




खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता के विक्रय हेतु उपलब्ध गांय का दूध जो कि प्लारिस्टक की 6 कैन में (प्रत्येक में 40 लीटर) गांय का दूध रखा था के अमानक का शक होने पर 2 किलोग्राम गांय का दूध खाद्यकारोबारकर्ता श्री रविरतन सेतिया को सूचित करते हुए वास्ते नमूने जाच खरीदा, जिसकी कीमत श्री रविरतन सेतिया को 90/- रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद मूल सलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 05 ए प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहन को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रविरतन सेतिया पुत्र श्री लक्ष्मणदास सेतिया, एवं गवाहन ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तरदीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता श्री रविरतन सेतिया को देकर असल रसीद प्राप्त की । फार्म नम्बर 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा गांय का दूध 2 किलोग्राम के चारों नमूना भागों पर लेबल विपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक K-1535 एवं अन्य विवरण दर्ज किया ओर लेबलों पर विक्रेता व गवाहन के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर प्रत्येक नमूना भाग को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटा और कागज के सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से विपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा रिलप कोड अनुक्रमांक K-1535 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से विपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार रील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता रविरतन सेतिया ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना रील लगाई जिसमें नमूना रील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में रीलबन्द कर रील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक रील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन रील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का रील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/769/एक्ट/2022/769 दिनांक 05.07.2022 प्राप्ता हुई, जिराके अनुसार खाद्य नमूना के-1535 गांय का दूध अमानक स्तर Sub-Standard Food होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त रविरतन सेतिया पुत्र श्री लक्ष्मणदास सेतिया निवासी वार्ड 572 विगोबा बस्ती, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर गांय का दूध का विक्रय किये जाने को




जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 29.11.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तालब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी विजय रेस्टोरेन्ट का मालिक है प्रार्थी के रेस्टोरेन्ट पर दिनांक 22.06.2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था जिसमें खाद्य पदार्थ की बाद जांच सब स्टेण्डर्ड का फुर्ड पाये जाने के कारण प्रार्थी को उक्त नोटिस जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा दूध पशुपालको से दूध कय किया जाता है कई बार पशुओं के खानपान के कारण फेट कम होता है। प्रार्थी द्वारा दूध में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई थी तथा ना ही प्रार्थी द्वारा मिलावट माल को आम जनता को विक्रय किया जाता है, इसलिए उक्त कार्यवाही प्रार्थी के विरुद्ध अनुचित की गई है। अतः प्रार्थी के प्रकरण का आज ही निरस्तारण फरमाया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त रो लिया गया गांय का दूध का सैम्पल के-1535 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/769/एक्ट/2022/769 दिनांक 05.07.2022 द्वारा Sub-Standard Food होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2)/51 उल्लघन किया है तथा जुर्माने योग्य अपराध है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी विजय रेस्टोरेन्ट का मालिक है प्रार्थी के रेस्टोरेन्ट पर दिनांक 22.06.2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था जिसमें खाद्य पदार्थ की बाद जांच सब स्टेण्डर्ड का फुर्ड पाये जाने के कारण प्रार्थी को उक्त नोटिस जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा दूध पशुपालको से दूध कय किया जाता है कई बार पशुओं के खानपान के कारण फेट कम होता है। प्रार्थी द्वारा दूध में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई थी तथा ना ही प्रार्थी द्वारा मिलावट माल को आम जनता को विक्रय किया जाता है, इसलिए उक्त कार्यवाही प्रार्थी के विरुद्ध अनुचित की गई है। अतः प्रार्थी के प्रकरण का आज ही निरस्तारण फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त रो लिया गया Sample of "Cow Milk" Code No and Sr. No. K-1535 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard Food as it does not Conform to the prescribed Standard of Food Safety and standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(1)के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000-00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित



(Handwritten Signature)
अभियुक्त (प्रमाणित)
श्रीगंगानगर

किया जाता है कि प्रकरण में जब गाय का दुध का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में गाय का दुध के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तोमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना राख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डा. हरीतिमा)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर